



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62959

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2947/2026

आशीष यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार मौर्य, राजन कुमार चौरसिया

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा,

1. अधिवक्ता श्री यतींद्र कुमार दुबे ने सूचक की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है। इसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी-राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज कुमार शर्मा, और सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री यतींद्र कुमार दुबे को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 390/2024, धारा 137(2), 64 बी.एन.एस. और 3/4 पॉक्सो अधिनियम, थाना भटनी, जिला देवरिया में अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। अस्थिरता परीक्षण (ऑसिफिकेशन टेस्ट) रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक थी। पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत अपने बयान में कहा है कि आवेदक उसे जबरन देवरिया ले गया, देवरिया से गोरखपुर, उसके बाद लखनऊ, लखनऊ से नासिक और नासिक से कोल्हापुर ले गया। कोल्हापुर में वह एक सप्ताह तक आवेदक के साथ रही। यह तर्क दिया गया है कि यह अत्यंत असंभाव्य है कि आवेदक पीड़िता का सार्वजनिक स्थान से दिनदहाड़े अपहरण करेगा। इसके अलावा, पीड़िता सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद थी। उसने न तो शोर मचाया और न ही आवेदक का विरोध किया। पीड़िता का आचरण दर्शाता है कि वह एक सहमत पक्ष (कन्सेन्टिंग पार्टी) थी। विवेचना के दौरान, आवेदक को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 संख्या 1814/2025, आशीष यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2025 के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। विवेचना पूर्ण हो चुकी है। आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया था। किसी भी कस्टोडियल पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। संबंधित न्यायालय द्वारा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक को तलब किया गया है। आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन अभिलेख से उपर्युक्त तर्कों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।
6. दिए गए तर्कों पर ध्यान देते हुए, आरोपों की प्रकृति और आवेदक के पूर्ववृत्त पर विचार करते हुए, और विशेष रूप से इस तथ्य पर कि अस्थिरकरण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक थी; पीड़िता सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद थी, उसने न तो शोर मचाया और न ही आवेदक का विरोध किया; पीड़िता का आचरण दर्शाता है कि वह एक सहमत पक्ष थी; विवेचना के दौरान आवेदक को इस न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अग्रिम जमानत दी गई थी; विवेचना पूर्ण हो चुकी है; आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया था; विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत की शर्तों के किसी भी उल्लंघन की ओर संकेत नहीं किया गया है; और किसी कस्टोडियल पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
7. गिरफ्तारी की स्थिति में, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- आशीष यादव को विचारण के लंबित रहने के दौरान, संबंधित न्यायालय के संतोषजनक 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए: -
 - (i) आवेदक संबंधित न्यायालय द्वारा मामले में नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके;
 - (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे उसके द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष जमा किया जाएगा।
8. इसके अलावा, किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय इसे लागू करने और बाध्य करने के लिए उचित आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र है।
9. आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

एस.के.टी./-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"